THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. P. SINGH DEO): (a) As part of its endeavour to maximise its commercial revenue earning, Doordarshan rationalised its rate-card including that of the metro channel w.e.f. 1st April, 1995. Consequently the sponsorship fee in DD-2 for film based programmes has been raised from Rs. 2.00 lakhs to Rs. 2.60 lakhs with a reduction in FCT from 120 seconds to 90 seconds and increase in spot buy from Rs. 50,000 to Rs. 60,000. The sponsorship fee in case of serials in DD-2 has also been increased from Rs. 1.4 lakhs to Rs. 2.5 lakhs with a reduction in FCT from 150 seconds to 120 seconds and increase in spot buy to Rs. 60,000.

(b) Doordarshan expects an increase in its commercial revenue through increased spot buys.

(c) The producers will continue to get an adequate return from their programmes telecast on this channel.

राष्ट्रीय इलैक्ट्रोनिक प्रसारण नेटवर्क

6074. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल :**
श्री अमरसिंह देवशंकर दवे :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय इलैक्ट्रानिक प्रसारण नेटवर्क गुजरात की पूरी तरह उपेक्षा कर रहा है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात-सौराष्ट्र की प्रमुख घटनाओं को शामिल न किये जाने के कारण उस क्षेत्र के लोगों में गहरा असंतोष है ; और

(ग) सरकार ने गुजरात के लोगों की इस भावना को दूर करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा बीते वर्षों में गुजरात राज्य में अपने नेटवर्क के विस्तार की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया है और इसे भविष्य में भी जारी रखा जाएगा ।

(ख) सौराष्ट्र क्षेत्र सहित राज्य की समाचारों की दृष्टि से उपयुक्त सभी घटनाओं को क्षेत्रीय/राष्ट्रीय समाचारों तथा कार्यक्रमों में स्थान दिया जाता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Showing of Pakistan TV programmes by Cable TV operators

6075. SHRI K. R. MALKANI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to refer to answer to Unstarred Question 297 given in the Rajya Sabha on 14th March, 1995 and state:

(a) whether it has come to Government's notice that programmes on fabricated violence and alleged discrimination in our country e.g. 'Anganwadi' are intentionally telecast by Pakistan T.V. and shown to our viewers by cable T.V.;

(b) if so, under what norm, such programmes are categorised as 'entertainment programmes' as stated in the reply to the question referred to above;

(c) whether there is any machinery to monitor such programmes, its nature and its findings.

(d) if so, what are the guidelines to the monitoring machinery in the matter and in what manner guidelines are adhered to; and

(e) whether Government are aware that in certain international telecommunication agreements, foreign satellite-

channels are allowed to operate in a country with its approval only that is by not leaving their footprints behind without the concerned country's permission?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. P. SINGH DEO): (a) Yes, Sir.

(b) Most of the programmes are fictional in nature.

(c) and (d) While there are no guidelines, nevertheless, the foreign broadcasts including those of Pakistan TV are monitored and suitable programmes put out on our electronic media to counter the adverse propaganda continued in such broadcasts.

(e) The international regulations/UN resolutions only require proper adherance, to the approved signal level and other technical parameters for coordinated operation of satellites.

एन०एफ०डी०सी० की भूमिका

6076. श्री संघ प्रिय गौतम : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय फिल्म उद्योग को दिशा देने और उद्योग को आवश्यक साधन उपलब्ध कराने में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा क्या भूमिका निभाई जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस निगम की स्थापना से भारतीय फिल्म उद्योग के स्तर को सुधारने के उद्देश्य को पूरा कर लिया गया है ;

(घ) क्या भाई-भतीजावाद, नौकरशाही और इस संस्था में सही व्यक्तियों की उपेक्षा किए जाने से फिल्म कला के विकास को काफी क्षति हुई है ;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार इस निगम के विकास और अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप करने का कोई विचार रखती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (रा० फि० वि० नि०) निम्नलिखित के माध्यम से फिल्म उद्योग की सहायता करता है–(1) अच्छी गुणवत्ता वाली फिल्मों का वित्त-पोषण करना, (2) नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देना, (3) थियेटरों का वित्त-पोषण करना, (4) भारतीय फिल्मों के निर्यात को प्रोत्साहित करना और (5) फिल्म निर्माण तथा निर्माणोत्तर संबंधी आधार भूत सुविधाओं जो निजी क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है अथवा अपर्याप्त रूप से उपलब्ध है, में निवेश करना ।

(ग) भारतीय फिल्म उद्योग क स्तर में सुधार करने संबंधी प्रयास से केवल रा० फि० वि० नि० द्वारा निर्मित्त फिल्मों की सीमा तक ही सीमान्त रूप से उपलब्धि प्राप्त हुई । अन्य फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्मित फिल्मों पर रा० फि० वि० नि० का कोई नियंत्रण नहीं है, और इसलिए इसके द्वारा उनके निर्माण के स्तर में सुधार को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता । रा० फि० वि० नि० उद्योग द्वारा निर्मित्त की जा रही फीचर फिल्मों के 2 प्रतिशत से भी कम फिल्मों का निर्माण करता है ।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) जी, नहीं, क्योंकि रा०फि०वि० नि० अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का उपयुक्त रूप से प्रयास कर रहा है ।